भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 264

05 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में खामियाँ

264. श्री शक्ति०सिंह गोहिलः
श्री दिग्विजय सिंहः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में पाई गई खामियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों के बीच कम नामांकन दर को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और
(ग) सरकार इस योजना के अंतर्गत लक्षित निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग): नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पर रिपोर्ट को दिनांक 8 अगस्त 2023 को संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया था (http://cag.gov.in/en/audit-report/)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सीएंडएजी टिप्पणियों पर अपनी कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) प्रस्तुत की हैं। इन कृत कार्रवाई टिप्पणियों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में एनएचए का स्पष्टीकरण तथा जहां लागू हो, की गई कार्रवाई का विवरण शामिल है।

एबी-पीएमजेएवाई को त्रि-स्तरीय कार्य ढ़ाचे के जरिए कार्यान्वित किया गया जाता है, जिसमें एनएचए शीर्ष पर है, जो मुख्यत: नीति निर्माण, निधियन और आई टी मंच के लिए जिम्मेदार है। स्कीम के जमीनी

तौर पर (आंन ग्राउंड) कार्यान्वयन की निगरानी राज्य सरकार के अन्तर्गत संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के द्वारा की जाती है। इसके अलावा, एसएचए को जिला कार्यान्वयन इकाईयों (डीआईयू) के द्वारा सहायता दी जाती है।

एबी-पीएमजेएवाई पर लेखापरिक्षा रिपोर्ट में लाभार्थी के सत्यता प्रमाणन, अस्पताल पैनलीकरण, दावा निपटान, राज्यों को जारी निधि, निगरानी और मूल्यांकन के संबंध में स्कीम के कार्यान्वयन में कतिपय सुधारों का सुझाव दिया गया है। लाभार्थी की सत्यता की जांच के संबंध में, कार्य-प्रवाह और वैधता निर्धारण में संशोधन के साथ एक नई लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, लाभार्थियों की पहचान के लिए एक वैकल्पिक डिजीटलीकृत आधार पर आधारित डाटाबेस का उपयोग करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से लाभार्थी सत्यता जांच प्रक्रिया में सरलता और निश्चितता बनी है। इसके अलावा, 'आयुष्मान भव' अभियान सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड सृजन का अधिकतम स्तर अर्जित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

अस्पताल के पैनलीकण के संबंध में, अस्पताल सम्बद्धता मंच के अशोधित संस्करण की शुरूआत की गई है, जिसमें पैनलबद्ध अस्पतालों में अवसंरचना और सेवाओं के संबंध में आवधिक रूप से अद्यतन सूचना को शामिल किया जाता है। इसके अलावा, डीआईयू को पैनलीकृत अस्पतालों से सम्पर्क करने और यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया हैं कि ये अस्पताल इस स्कीम के तहत पैनलीकरण के निर्धारित मानकों का सतत रूप से पालन करते हैं।

दावों के निपटान के संबंध में, दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए डैशबोर्ड और समीक्षा बैठक के माध्यम से दावों के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, दावों के कुशल निपटान के लिए क्षमता निर्माण कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। एनएचए ने, हाल ही में, स्वच्छ अस्पतालों को त्वरित भुगतान के लिए ग्रीन चैनल पेमेंट्स (जीसीपी) की शुरूआत की है। कई राज्यों ने जीसीपी का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, पीएमजेएवाई आईटी 2.0 के भाग के तौर पर, लेनदेन प्रबंधन प्रणाली के एक नए संस्करण की शुरूआत की जा रही है, जिसमें दावों के कुशलतापूर्वक और पारदर्शी निर्धारण करने के लिए, प्रदान किए गए उपचार के बारे में अधिक जानकारी रखी जाएगी। इसके अलावा, इस नए प्लेटफ़ॉर्म से प्रदान किए गए उपचार के व्यापक अवलोकन के लिए वैध डेटा संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा।

शिकायत प्रबंधन के संबंध में, दिनांक 30 नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 99%पंजीकृत शिकायतों (4.76 लाख) का समाधान किया गया है। योजना के तहत प्राप्त शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

धोखाधड़ी विरोधी पहलों के संबंध में, एनएचए ने अपना दृष्टिकोण 'वसूली' से 'रोकथाम' की ओर परिवर्तित किया है। इससे अभिप्राय है कि ऐसे दावे जो संदिग्ध पाए गए हैं उनका भुगतान जांच पूरी होने तक रोक दिया जाएगा। आज की तारिख की स्थिति के अनुसार, 900 से अधिक अस्पतालों को इस योजना के तहत पैनल से हटाया गया है। इस योजना के तहत लगभग 113 करोड़ रुपये के दावों के भुगतान को रोक दिया गया है। साथ ही योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्थापना को मजबूत करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

दिनांक 30 नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत 27.68 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। गत पांच वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सभी व्यक्तियों तक पहुंचे, विभिन्न पहलें की गई हैं । इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. आपके द्वार आयुष्मान: योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड का सृजन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, एनएचए ने आपके द्वार आयुष्मान(एडीए) अभियान शुरू किया है। एडीए अभियान में लाभार्थियों को सक्रिय करने और उनके लिए कार्ड बनाने के लिए सीएससी और यूटीआईआईटीएसएल के सेवा प्रदाताओं से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पंचायती राज कार्मियों और ग्राम स्तर के एजेंटों जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

2. लाभार्थी डेटाबेस का संवर्धन: पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत कवर किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को बचे हुए (अप्रमाणित) एसईसीसी परिवारों की पहचान करने के लिए समान सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले गैर-एसईसीसी लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने की छूट प्रदान की है। । इसके अलावा, योजना के तहत लाभार्थी आधार को 10.74 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 12 करोड़ परिवारों तक कर दिया गया है। इन दो कदमों से योजना के तहत लक्ष्य निर्धारण में सुधार होने की उम्मीद है।
3. जो राज्य एसईसीसी डेटाबेस के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें बचे हुए (असत्यापित) एसईसीसी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए गैर-एसईसीसी डेटाबेस का उपयोग करने की छूट प्रदान की गई है।
4. 'आयुष्मान भव' अभियान: इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करना है। इस पहल में अनेक कार्यकलाप शामिल हैं, जिनमें

'आपके द्वार आयुष्मान 3.0', 'आयुष्मान सभाएं', 'आयुष्मान मेले' और गांवों को 'आयुष्मान ग्राम' का दर्जा देने का चरम लक्ष्य शामिल है।

5. आयुष्मान एप्लिकेशन: एनएचए ने आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए सितंबर 2023 में 'आयुष्मान ऐप' शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लिकेशन ने आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए लाभार्थी के 'स्व-सत्यापन' को सक्षम बना दिया है।

6. विकसित भारत संकल्प यात्रा: आयुष्मान कार्ड निर्माण, विकसित भारत यात्रा के दौरान दी जाने वाली ऑन-स्पॉट सेवाओं में से एक है।

7. आईईसी अभियान: डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो अभियान, टेलीविजन अभियान, ऑटो ब्रांडिंग आदि जैसे संचार के विभिन्न चैनलों का उपयोग करते हुए सभी सुविधाएं सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए योजना के तहत समग्र आईईसी अभियान चलाए जा रहे हैं।

*****